**भारत सरकार**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 111**

**सोमवार, 24 नवम्‍बर, 2014, 3 अग्रहायण 1936 (शक)**

**मुम्बई-गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग में सुधार/चौड़ा किया जाना**

111. **श्री शान्ताराम नायक:**

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मुम्बई-गोवा राष्‍ट्रीय राजमार्ग में सुधार /चौड़ा करने का विचार रखती है;

(ख) क्या इस राष्ट्रीय राजमार्ग के किसी हिस्से को चौड़ा/सुधारा गया है;

(ग) यदि हां, तो इसकी लागत कितनी रही है;

(घ) क्या इस राष्ट्रीय राजमार्ग के सुधार /चौड़ा किए जाने पर आने वाली लागत के संबंध् में कोई अनुमान लगाया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) किस तरह की निर्माण सामग्री के उपयोग का प्रस्ताव है;

(छ) क्या इसका क्रियान्वयन निगम द्वारा, सरकार द्वारा या सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर किया जाएगा; और

(ज) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री पोन्. राधाकृष्‍णन)**

(क) से (ग) जी, हां । पनवेल से इंदापुर तक के खंड (लम्‍बाई 84 किमी) को 4 लेन बनाने का कार्य राष्‍ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III के अंतर्गत सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के आधार पर प्रारम्‍भ किया गया है जो 942.69 करोड़ रू. की लागत पर कार्यान्‍वयनाधीन है और किमी 0/000 से 21/508 (लम्‍बाई 21.508 किमी) तक जरप से पात्रादेवी खंड को 4 लेन बनाने का कार्य 264.05 करोड़ रू. की लागत पर पूरा किया जा चुका है ।

(घ) से (च) इंदापुर से जरप तक के खंड को 4 लेन बनाने के लिए मंत्रालय द्वारा व्‍यवहार्यता अध्‍ययन रिपोर्ट अनुमोदित कर दी गई है । महाराष्‍ट्र/गोवा सीमा से गोवा/कर्नाटक सीमा खंड के लिए व्‍यवहार्यता अध्‍ययन रिपोर्ट और विस्‍तृत परियोजना रिपोर्ट गोवा सरकार द्वारा तैयार की गई है । निर्माण पूर्व कार्यकलापों सहित प्राक्‍कलित परियोजना लागत व्‍यवहार्यता अध्‍ययन रिपोर्ट के अनुसार 4121 करोड़ रू. है । निर्माण सामग्री का प्रकार संगत आईआरसी कोड, मंत्रालय के मानक और विशिष्‍टियों तथा स्‍थल अवस्‍था के अनुरूप प्रस्‍तावित है । पनवेल से इंदापुर तक के खंड का निर्माण फ्लेक्‍सिबल पेवमेंट से किया जा रहा है ।(छ) और (ज) पनवेल से इंदापुर के खंड के कार्य का कार्यान्‍वयन सार्वजनिक निजी भागीदारी माडल पर भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यपालक एजेंसी के रूप में और मै. सुप्रीम पनवेल इंदापुर टोलवेज प्राइवेट लि. द्वारा रियायतग्राही के रूप में किया जा रहा है । इंदापुर से जरप तक के खंड के लिए कार्यपालक एजेंसी महाराष्‍ट्र लोक निर्माण विभाग है । इंदापुर से जरप तक के खंड की परियोजना की सुपुर्दगी की विधि परियोजना की वित्‍तीय व्‍यवहार्यता के आधार पर पीपीपी/ईपीसी माडल आधारित हो सकती है ।

\*\*\*\*\*\*